9 जून 2006

प्रिय साथी,

भारत में शहरी विकास की प्रक्रिया में अनौपचारिक बस्तियों एवं उसमें रहने वाले मेहनतकश मज़दूरों को उजाड़ने की नीति पुरानी है, किन्तु पिछले दो सालों में उजाड़े गए लोगों को पुनर्वास करने की ज़िम्मेदारी से राज्य भी अपना पल्ला झाड़ रहा है।

मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, चेन्नई के साथ–साथ छोटे–छोटे शहरों में अब 'बुलडोज़र' शहरी योजना एवं शासन का प्रिय हथियार बन गया है। शहरों का पुनर्कल्पन व डिज़ाईन मुख्य रूप से बड़ी–बड़ी कम्पनियों और धन्ना सेठों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, न कि आम नागरिक की। 80 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 19 (स्वछंद होकर घूमने एवं देश में कहीं भी जा कर बसने का अधिकार) एवं धारा 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार) की प्रगतीशील एवं ग़रीब पक्षीय व्याख्या की अवहेलना न सिर्फ सरकार बल्कि कोर्ट भी कर रही है। मेहनतकश, ग़रीब मज़दूर बेरहमी से शहरी अर्थव्यवस्था में हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। साथ ही इस विकास के माडल में वे हो रहे हैं – बेघर, बेआवाज़ एवं बेरोज़गार।

वकीलों, कार्यकर्ताओं एवं जन संगठनों ने अपने–अपने चिन्ताओं पर, खतरा केन्द्र द्वारा 17 मई 2006 को बुलाई गई मीटिंग में चर्चा की। हाल के कोर्ट के आदेशों का विश्लेषण एवं उसके दूरगामी प्रभावों पर विचार किया और इस ग़रीब विरोधी एवं कामगार विरोधी आदेशों को उजागर एवं विरोध करने पर सहमत हुए। बातचीत के दौरान एक विशाल लोक अभियान शुरू करने की बात हुई जिसमें कामगार, झुग्गीवासी, संगठन, ट्रेड यूनियन, महिला संगठन, दलित संगठन, अल्पसंख्यक संगठन, आवास अधिकार ग्रुप, अन्य सामाजिक आंदोलनों एवं समूहों पर सहमति हुई।

यह सुझाव आया कि अभियान की शुरूआत सर्वोच्च न्यायालय के बाहर 3 जुलाई को धरने से हो (जिस दिन कोर्ट गर्मियों के अवकाश के बाद खुलें)। हस्ताक्षर एवं पोस्टकार्ड अभियान, सरकार एवं कोर्ट पर दबाव डालने एवं मुद्दे को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाए।

इन सारे विचारों पर विचार विमर्श करने एवं पूरे अभियान के लिए समग्र तैयारी करने एवं तुरन्त कार्यवाही के लिए ज़िम्मेदारियों के बंटवारे के लिए एक दिन की मीटिंग का आयोजन 15 जून 2006 को इंडियन सोशल इंस्टि्ट्यूट में किया जा रहा है।

आपकी उपस्थिती इस बैठक में अति अनिवार्य है। रणनीति तय करने और लोगों को लामबंध करने के लिए हम लोग आप पर निर्भर हैं ताकि लोगों के रोज़गार अधिकार और जीवन पर हो रहे हमले का विरोध कर सके।

आपके

अभियुदय, आश्रय अधिकार अभियान, एक्शन एड, बाल विकास धारा, चिन्तन, दिल्ली श्रमिक संगठन, एच. आर .एल.एन, खतरा केन्द्र, आवास एंव भूमि अधिकार संगठन, जागोरी, आई.एस.आई, लोक राज संगठन, निर्माण मजदूर पंचायत संगम, परिवर्तन, माबाइल क्रेशेज, स्नेहबंधन सोसाइटी, सतर्क नागरिक संगठन, श्रुति, वर्कर्स सोलिडेरिटी, संजय श्रीवास्तव, मालविका वर्तक, अशोक अग्रवाल, प्रशांत भूषण, ए.आई.एफ.टी.यू

संपर्क: , 9818205234, 9811137421, 9811607990